कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जगदीशपुर
जिला– भोजपुर

महाशय,

नगर पंचायत, जगदीशपुर के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 957/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एल.एस.–1/श0स्था0नि0 /14703/339 दिनांक– 29.12.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत–जगदीशपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 957/17–18
भाग– I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	**नगर पंचायत जगदीशपुर**
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2014–15 से 2016–17
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक के योजना की रोकड़बही, बैंक पासबुक (उपरोक्त रोकड़बही सम्बन्धित), योजना पंजी (वही), राजस्व वसूली, के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों, सामग्री खरीद के अभिलेखों/अभिश्रव की नमूना जाँच की गई।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	27.11.17 से 04.12.17
5	**कार्यपालक पदाधिकारी**	**कार्य अवधि**
	श्री अभूति श्रीवास्तव	11.11.2013 से 12.11.2015
	श्री हरि वीर गौतम	13.11.2015 से 03.03.2017
	श्री विजय नारायण पाठक	04.03.2017 से वर्तमान समय तक
	अध्यक्ष	**कार्य अवधि**
	श्रीमति रीता कुमारी	जून 2012 से 03.09.2015
	श्रीमति रीता कुमारी	21.09.2015 से 20.04.2017
	श्री मुकेश कुमार	जून 2017 से वर्तमान समय तक
	उप अध्यक्ष	
	श्री कुँवर संजीत कुमार सिंह	जून 2012 से 25.09.2016 तक
	श्रीमति मीरा देवी	26.09.16 से 20.04.17 तक
	श्री अर्जून प्रसाद	जून 2017 से वर्तमान समय तक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री गौरव प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री कौशल किशोर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राजनन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	–अनुपलब्ध–
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 04.12.17

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–ा (क)– शून्य
भाग–ा (ख)

कंडिका सं0–01 एल.ई.डी. लाईट के कय में अनियमितता

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 ज में रू0 25.00 लाख एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु सरकारी विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वर्णित है, जो इस प्रकार है –

नियम 131 ज– विज्ञापित निविदा पूछताछ –

(i) नियम 131 ञ के अन्तर्गत समावेशित अपवादों को छोड़कर रूपया 25.00,000.00 (पच्चीस लाख रूपया) एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इण्डियन ट्रेड जर्नल (आई0टी0जे0) तथा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाली दैनिक पत्र में किया जाना चाहिए।

(ii) कोई संगठन जिसका अपना वेबसाइट हो उस पर वह अपने सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ को भी प्रकाशित करेगी एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट के साथ लिंक मुहैया करायेगी। उसे आई0टी0जे0 एवं समाचार पत्र के विज्ञापनों में अपने वेबसाइटका पता भी देना चाहिए।

(iii) संगठन को अपने वेबसाइट में समूची बिडिंग दस्तावेज को पोस्ट करना चाहिए तथा संबंधित बोलीकर्ताओं को वेबसाइट से दस्तावेज डाउन लोड कर उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि डाउन लोडेड दस्तावेज की कोई कीमत हो, तो बोली के साथ डिमांड ड्राफ्ट आदि द्वारा राशि के भुगतान हेतु बोलीकर्ता को स्पष्ट बताया जाना चाहिए।

(iv)बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह की होगी। नियम 131 द के प्रावधानानुसार अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्वेच्छाचारिता की समाप्ति एवं पारदर्शिता, प्रतिस्पर्द्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करना–सभी सरकारी खरीद के लिये सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धी एवं निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए।

नियम 131घ के प्रावधानानुसार सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रक्रिया व्यवस्था में दक्षता, मितव्ययिता एवं उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

नगर पंचायत कार्यालय जगदीशपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 4/15–16 दिनांक 27.08.15 से शहरी स्थानीय निकायों की आधारभूत नागिरक सुविधाओं को घ्यान में रखते हुए कुल 12 सामग्री जिनमें स्ट्रीट लाईट, हाईमास्ट लाईट, एवं पोल माउंटेड बीन आदि शामिल थे, के कय का विज्ञापन दिया गया था। उपरोक्त के विरूद्ध में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निम्न सामग्रियों का कय किया गया था।

इस क्रय के विरूद्ध नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निम्न रूप से भुगतान किया गया था।

चेक सं0/दिनांक	कुल भुगतान
SBI Ch. No. 648250 dt. 12.10.15	7,00,000
Ch. No. A559495 dt. 18.01.16	20,00,000
Ch. No. A559498 dt. 27.01.16	20,00,000
Ch. No. A559526 dt. 20.02.16	20,59,356
Ch. No. A554742 dt. 26.03.16	30,00,000
Ch. No. A554748 dt. 20.04.16	30,50,000
Ch. No. A553817 dt. 28.12.16	30,00,000
Ch. No. A553865 dt. 06.03.17	20,00,000
Ch. No. A553866 dt. 06.03.17	15,75,909
Ch. No. A553897 dt. 15.04.17	14,00,000
BOB Ch. No. 602732 dt. 15.04.17	11,68,800
985174 dt. 29.08.17	27,55,815
985187 dt. 22.09.17	26,97,272
985189 dt. 22.09.17	6,47,370
985188 dt. 22.09.17	25,47,216
Total	**3,06,01,738**

<u>लेखा परीक्षा टिप्पणी :–</u>

नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा लाईट अधिष्ठापन/क्रय में विभिन्न नियमों का पालन नहीं किया गया है :–

01. नियम 131ञ के विरुद्ध विज्ञापन को इण्डियन ट्रेड जर्नल में विज्ञप्ति नहीं कराया गया था।
02. विज्ञापन संख्या 04/2015–16 को दिनांक 27.08.2015 को विज्ञप्ति कराया गया था तथा निविदा 03.09.2015 को 03:00 बजे तक समर्पित किया जाना था। अतः निविदादाताओं को निविदा में भाग लेने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया था।
03. लाईटों के क्रय के लिए मात्र चार हीं कम्पनी को मौका दिया गया था जो कमशः सूर्या, कॉप्टन, ओसराम एवं अवनी था जो कि इस प्रकार के निविदा को इन चारों कंपनीयों तक हीं प्रतिबंधित कर दिया गया था। अतः अन्य कंपनीयों को मौका नहीं मिल पाया, वस्तुतः स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो सकी थी।

04. नगर पंचायत जगदीशपुर कार्यालय द्वारा सामग्री की ईकाई को "**आवश्यकतानुसार**" क्रय किया जाना प्रकाशित किया गया था। सामग्री की आवश्यकता का वास्तविक आकलन कर निविदा में दर्शाये जाने से अन्य प्रतियोगी भी आकर्षित हो सकते थें। वस्तुतः स्वस्थ प्रतियोगिता कर न्यूनतम दर पाने से यह कार्यालय वंचित रहा।

05. 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट विथ पॉल के क्रय में निविदादाता मेसर्स भोजपुर ईन्टरप्राईजेज द्वारा दो कम्पनियों की लाईटों का कॉटेशन दिया गया था।

01. कॉपटन ग्रिन प्रति अदद –रू 57,450/–

02. उत्कर्स प्रति अदद -- रू 40,500/–

क्रय समिति द्वारा उत्कर्स कंपनी की लाईट को "**पोल बनाने की कंपनी**" होने के नाम पर खारिज कर दिया था। इस प्रकार उत्कर्स कंपनी की लाईट क्रय न कर कॉपटन ग्रीन की लाईट की क्रय में प्रति सेट रू. 16,950/– की राशि का परिहार्य व्यय किया गया था। कुल **200** (72 वाट) एल0ई0डी0 विथ पॉल के क्रय में जिनके विरुध भुगतान कर दिया गया है कुल रू. **33,90,000** की राशि का परिहार्य व्यय किया गया था।

6. High Mast Light, विथ 12.5 m पॉल के क्रय में निविदादाता मेसर्स भोजपुर ईन्टरप्राईजेज द्वारा दो कम्पनियों की लाईटों का कॉटेशन दिया गया था।

कॉपटन ग्रिन प्रति अदद –रू 5,62,500/–

उत्कर्स प्रति अदद – रू 4,95,000/–

क्रय समिति द्वारा उत्कर्स कंपनी की लाईट को "पोल बनाने की कंपनी" होने के नाम पर खारिज कर दिया था। इस प्रकार उत्कर्स कंपनी की लाईट क्रय न कर कॉपटन ग्रीन की लाईट की क्रय में प्रति सेट रू. **67,500/–** की राशि का परिहार्य व्यय किया गया था। कुल **07 High Mast Light**, विथ 12.5 m पॉल के क्रय में जिनके विरुद्ध भुगतान कर दिया गया है कुल रू **4,72,500** की राशि का परिहार्य व्यय किया गया था।

7. नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा High Mast Light/एल0ई0डी0 बल्बों के क्रय हेतु मॉग के वास्तविक मॉग का आकलन नहीं किया गया था तथा विभिन्न कार्यादेश के द्वारा बारम्बार क्रय किया गया था।

8. High Mast Light/ स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन के उपरांत उनकी गुणवत्ता जॉच नहीं की गयी थी। अधिष्ठापन संबंधि प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं था।

9. बिहार वित्तीय नियमावली–2005 के अनुसार परफॉर्मेन्स सिक्युरोटी की 10 प्रतिशत की कटौती यानि कुल पारित अभिश्रवों के अनुसार राशि रू 26,88,842 (कुल रू 2,68,88,422 का 10प्रतिशत) की कटौती नहीं की गई थी।

10. क्रय किये लाईटो का इन्द्राज स्टॉक पंजी में दर्ज नही किया गया था।

11. संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल भुगतान राशि रू 3,06,01,738 के विरूद्ध कुल राशि रू 2,80,06,668 का अभिश्रव संचिका में मौजूद था तथा कुल राशि रू 2,68,88,422 का अभिश्रव पारित किया गया था इस प्रकार कुल पारित अभिश्रवों की तुलना में कुल भुगतान राशि रू 37,13 ,316 अधिक था।

12. निविदा सं0 4/15–16 दिनांक 27.08.15 में High Mast light with double arm में क्रय किये जाने का कोई जिक्र नहीं था फिर भी नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वर्णित 40 सामग्री का क्रय रू. 46,600 की दर से कुल भुगतान रू. 29,74,280 कर किया गया था। कुल रू. 8,40,000/– का भुगतान अधिष्ठापन हेतु किया गया था।

13. अभिश्रव संख्या 453 एवं 455 में नगर कार्यपालक पदाधिकारी जगदीशपुर का हस्ताक्षर तो मौजुद था परन्तु कुल राशि रू. 3661280/– के वर्णित अभिश्रवों को पारित किये जाने का कोई जिक्र नही था।

14. नगर पंचायत कार्यालय द्वारा भोजपुर इन्टरप्राईजेज का उत्कर्ष कम्पनी/काम्पटन ग्रीप्स कम्पनी का कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि –

1. नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 04/1015–16 दिनांक 27.08.2015 को राज्य स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था।

2. लेखापरीक्षा के आपत्ति पर भविष्य में निविदा को विस्तृत रूप से प्रकाशित कराया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री का विशिष्टीकरण तथा मात्रा का स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

3. क्रय समिति के निर्णय के आलोक में सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में उत्कर्ष कम्पनी का लाईट खरीदा गया।

4. नगर पंचायत जगदीशपुर कार्यालय द्वारा नियमित रूप से हाई मास्ट लाईट/ एल0ई0डी0 लाईट का विद्युत विपत्र भुगतान किया जा रहा है। कॉपी संलग्न।

5. हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन एवं गुणवता संबंधित प्रमाण पत्र (वार्ड वार) उपलब्ध करा दिया जाएगा।

6. भविष्य में क्रय बिहार वितीय नियमावली 2005 के आलोक में किया जाएगा। जहॉ तक इस क्रय का प्रश्न है जिसमें अंतिम भुगतान शेष है। आवश्यक इनकम टैक्स की कटौती कर ली जाएगी।

7. स्टॉक पंजी का संधारण किया जायेगा।

8. संचिका की जॉच कर अभिश्रव के विरूद्ध किये गये भुगतान की जानकारी दी जायेगी। अपारित/बिना पारित अभिश्रव को पारित कर लेखापरीक्षा में दिखाई गयी।

9. 72 वाट एल0ई0डी0 डबल आर्म का क्रय सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में क्रय किया गया। कॉपी संलग्न है। क्रय की राशि कम होने के कारण निविदा प्रकाशित नहीं कराई गयी तथा भोजपुर इन्टरप्राईजेज जो की गुणवत्ता पूर्ण 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट एवं हाई मास्ट लाईट की सप्लाई कर रही थी को ही उचित मान आपूर्ति आदेश दिया गया।

जवाब मान्य नहीं है, एल0ई0डी0 लाईटों का क्रय बिहार वितीय नियमावली 2005 के उपबंधों तथा नगर विकास एवं आवास बोर्ड द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में किया जाय। निविदा को स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाय। यह भी ध्यान रखा जाय किनिविदा का प्रकाशन नियमानुसार "इंडियन ट्रैड जर्नल" में किया जाय तथा निविदादाताओं को निविदा समर्पित करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाय।

एल0ई0डी0 लाईटों के क्रय में किये गये भुगतान के विरूद्ध समस्त अभिश्रवों को तथा भोजपुर इन्टरप्राईजेज द्वारा समर्पित उत्कर्ष कम्पनी एवं कामप्टन ग्रीप्स कम्पनी के कोटेशनों को अगले लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

डबल आर्म 72 वाट लाईट का बिना निविदा प्रकाशित किये हुए क्रय किया जाना अनियमित है। क्रय समिति द्वारा उत्कर्ष कम्पनी को पोल बनाने वाली कम्पनी के आधार पर अस्वीकृत किया जाना त्रुटिपूर्ण था।

कंडिका सं0–02 ट्राई–साईकिल बिन/हैण्ड ट्राली क्रय में अधिक भुगतान –रू0 3.23 लाख

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 2 ब0/विविध 2132/2013–2372 दिनांक 08.08.2014 द्वारा यह वर्णित था कि "'राज्य सरकार द्वारा सफाई की व्यवस्था हेतु आवश्यक संयंत्रो/वाहनों के क्रय में गुणवता व मानकों में नगर निकायों में एकरूपता लाये जाने के उदेश्य से बुडको को राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग में आनेवाली सामग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है। इस सेवा के लिए बुडको को 2 प्रतिशत की दर से Centage देय होगा।

नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा ट्राई–साईकिल बिन/हैण्ड ट्राली/ डस्टबिनों का क्रय बुडको के माध्यम से न कर, स्वंय किया गया था। कुल 12 ट्राई–साईकिल बिन एवं 12 हैण्ड ट्राली का क्रय सिन्हा इन्टरप्राईजेज सिकरिया मोड गया से किया गया था। नगर पंचायत द्वारा क्रय दर वुडको के दर से अधिक था। प्रत्येक इकाई के खरीद में कुल रू. 26899 (ट्राई साईकिल में प्रति इकाई 24928 एवं हैण्ड ट्राली में प्रति इकाई 1971 अधिक दर से क्रय किया गया। इस प्रकार कुल कुल 12 ट्राई–साईकिल बिन एवं 12 हैण्ड ट्राली के क्रय में रू. 322788 (12x26899) का परिहार्य भुगतान किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट III में संलग्न)

जवाब में बताया गया कि हैण्ड ट्राली का क्रय सशक्त स्थायी समिति के नियम के आलोक में निविदा प्रकाशित कर कोटेशन प्राप्त किया गया है तथा न्यूनतम निविदा को अस्वीकृत कर क्रय किया गया है। अतः क्रय नियमित है।

जवाब मान्य नहीं है, नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशा निदेशों के विपरीत वुडको के माध्यम/वुडको के इम्पनलड कम्पनी के समतुल्य दर पर/कय नहीं किये जाने के कारण रू 322788 का अधिक व्यय किया गया।

कंडिका सं0–03 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में अनियमित भुगतान (राशि– रू. 11.32 लाख)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के युवक एवं युवतियों को 17 व्यवसाय में प्रशिक्षण दिये जाने के लिए संबंधित संस्थाओं को संबद्ध किया गया था।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना में प्रशिक्षण देने के लिए 63 गैर सरकारी संस्था का चयन किया तथा पत्र सं0 927 दिनांक 06.09.12 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि समयाभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जांच नहीं किया गया है। इस संबंध में आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण करने के पूर्व तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व आप निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थाओं की जॉच कर लें।

1. क्या इस संस्था को पूर्व में इस तरह के प्रशिक्षण कराने का अनुभव है अथवा नहीं?
2. संस्थाओं/एजेंसियों के पास वैसे प्रशिक्षक होने चाहिए जिनको संबंधित व्यवसाय में 3 वर्षो का अनुभव प्राप्त हो।
3. संस्थाओं/एजेंसियों के पास पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने चाहिए।
4. संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण के उपरान्त लाभार्थियों को एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. संस्थाओं/एजेंसियों के पास प्रशिक्षण स्थल पर कम–से–कम 15 सौ वर्गफीट का स्थान होना चाहिए।
6. प्रशिक्षण प्रतिदिन कम से कम 04 घंटे का होना चाहिए।
7. कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्युटर होना चाहिए।
8. संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता हो।
9. इसके अलावे जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए इच्छुक है तो संस्था द्वारा उनका आवेदन प्राप्त कर बैंकों में भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।

नगर पंचायत जगदीशपुर, भोजपुर में प्रशिक्षण देने के लिये आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसमें निम्न बिन्दुओं पर व्यय करने का प्रावधान था:–

1. 40 % S.T.E.P.u.P
2. 20 % U.S. E.P.
3. 20 % UWSP

4. 10 % UWEP

5. 10 % UCDM

यह कार्य के लिए जीवन ज्योति संस्थान, पटना को स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया गया था। जिसके अन्तर्गत अभिश्रव राशि रू 2830000 प्रस्तुत किया गया था। जिसका भुगतान का विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
01	290425	06.12.12	529200
02	869163	14.02.14	100000
03	175019	07.03.14	100000
04	293878	22.03.14	100000
05	293879	09.06.14	100000
06	293881	25.08.14	100000
07	648198	04.03.15	650000
08	648199	04.03.15	850000
09	648201	18.03.15	233900
		योग	**2763100**

चयनित संस्था द्वारा निम्नलिखित चार ट्रेडों में प्रषिक्षण दिया गया।

1. कम्प्यूटर
2. फैशन डिजाइनिंग
3. ब्यूटिशियन
4. Plumbering

प्रति लाभार्थी रू. 10000/— की राशि उपलब्ध करायी गयी थी।

नगर निकाय में समर्पित सभी आवेदनों के बी.पी.एल. संख्या का सत्यापन करने का आदेश दिया गया। संस्था द्वारा प्रशिक्षण के बाद 283 प्रशिक्षणार्थियों में से एक भी लाभार्थी का फार्म कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के बाद 283 प्रशिक्षणार्थियों में से एक भी लाभार्थी का आवेदन फार्म बैंक को भेजने की कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे उन्हे बैकों द्वारा ऋण दिया जा सके। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा 283 प्रशिक्षणार्थीयों में से एक भी लाभुकों को प्लेस्मेन्ट नहीं दिया गया। संस्था द्वारा प्रशिक्षण से संबधित एक भी पंजी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह पता चल सके कि प्रशिक्षण दिया भी गया था।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 283 प्रशिक्षार्णीयों का भौतिक लक्ष्य प्रेषित किया गया था। जिसमें स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में पॉच घटक बनाए गए थे। इन पॉच घटकों में एक धटक 20 % URBAN SELF EMPLOYMENT PROGRAMME (USEP) था। जिसके अन्तर्गत 283 प्रशिक्षाणार्थियों में से 56 प्रशिक्षणार्थियों को उधोग स्थापित कराना था। इसके लिए संस्था द्वारा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना था। ऋण में 70 प्रतिशत राशि बैंकों द्वारा, 25 प्रतिशत नगर निकाय द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत स्वयं

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा मिलाकर कुल 100 प्रतिशत अर्थात रू. 200000/– (140000:50000:10000) जमा कर उधोग स्थापित करना था।

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. चयनित संस्था सम्बोधित द्वारा 283 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के संबधित प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी, किट्स वितरण पंजी एवं इसकी संख्या, किट्स वितरण का फोटो, सभी अभिश्रव, बी. पी.एल. संख्या का सत्यापन सहित लाभार्थियों का आवेदन पत्र, टुल किट किस प्रतिष्ठान से खरीदा गया था, इत्यादि एवं इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को बैंक से ऋण के लिए आवेदन फार्म बैकों में जमा किया गया इत्यादि से संबधित सूचना/दस्तावेज कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया था।
2. संस्था द्वारा जगदीशपुर में कहॉ ट्रेनिंग दी गयी। Institute/स्थान का नाम, किराया पर लिया मकान मालिक का नाम, रेन्ट रीसीट इत्यादि अभिश्रव संलग्न नही था।
3. प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक का नाम, योग्यता, संस्था द्वारा उनके चयन की प्रकिया, उन्हे भुगतान की गयी राशि की विवरणी, शिक्षकों द्वारा राशि प्राप्ति का प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4. बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के तहत संस्था को रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. संस्था द्वारा समर्पित सभी अभिश्रवों की छाया प्रति दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
6. इसके साथ साथ यह भी नहीं बताया गया कि प्रषिक्षण के बाद कितने प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्लेशमेन्ट दिया गया एवं कितने इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को बैकों से ऋण के लिए आवेदन फार्म बैकों में जमा किया गया।
7. 40 प्रतिशत राशि स्टेप अप पर व्यय करना था। जबकि अभिश्रव के अनुसार सेट पर व्यय नहीं कर प्रशिक्षण पर व्यय दिखाया गया है। जिसके कारण सेट अप पर व्यय राशि रू 1132000 (2830000 x 40%) अनियमित था।

   जवाब में बताया गया कि योजना में भुगतान की गयी राशि की जॉच कर जीवन ज्योति संस्थान को किया गया।

कंडिका सं0–04 मार्गदर्शिका के विपरीत योजना का चयन कर अनियमित व्यय (रू 10.43 लाख)

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 673 दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में शहरी क्षेत्र में हर नाली–गली का पक्कीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय" योजना को कार्यान्वित किया गया। इस योजना के तहत नगर विकास के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक शहर के प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी मुहल्लो में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 2090 दिनांक 21 02.16) द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश के तहत (कंडिका संख्या 3(।) इस प्रकिया में चिन्हित किए जाने वाले

सड़को में पी0सी0सी0 इंटरलांकिग टाइल्स पथों का निर्माण किया जाएगा। जिन गलियों में पी0सी0सी0 किया जाना है वहॉ पथ के साथ साथ नाली का निर्माण भी किया जाय बशर्ते कि पूर्व में नाली न हो। नगर पंचायत, जगदीशपुर के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की योजनाओं की जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वित किया गया था जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

N.I.T.योजना सं0– 01F/2016–17	N.I.T.योजना सं0– 01F/2016–17
योजना सं0– 76/16–17	योजना सं0–82/16–17
योजना का नाम– वार्ड नं0 01 में विरेन्द्र सिंह के मकान से शनिचरा बाबा तक पी.सी.सी. कार्य	योजना का नाम– वार्ड नं0 11 में शम्भु प्रसाद के घर होते हुए लाला टोली बट तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य।
संवेदक का नाम– श्री मदन सिंह	संवेदक का नाम– श्री मदन सिंह
प्राक्कलित राशि– 419900	प्राक्कलित राशि– 645000
एकरारनामा की राशि–398905	एकरारनामा की राशि–645000
मापी पुस्तिका की राशि–415816	मापी पुस्तिका की राशि–645000
व्यय की गयी राशि– 398905	व्यय की गयी राशि– 645000

योजना प्रतिवेन प्राक्कलन तथा मापी पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य में नाली निर्माण का न तो प्रावधान किया गया और न ही उसका निर्माण किया गया। इस सड़क के दोनो तरफ पूर्व से किसी प्रकार का नाला निर्माण भी नहीं था।

स्पष्टतः पी0सी0सी0 सड़क निर्माण के साथ–साथ नाली निर्माण आवश्यक था बशर्ते कि पूर्व में नाली न हो। सरकार के मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए योजना में अनियमित व्यय रू 1043905 (398905+ 645000) किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) पी.सी.सी. सड़क निर्माण के पूर्व कोई नाला नहीं था।

(ख) मार्गदर्शिका के विपरीत बगैर नाला के पी.सी.सी. सड़क निर्माण किया गया था।

(ग) प्राक्कलन बनाने एवं अनुमोदन के पूर्व इसकी अनदेखी की गयी थी।

(घ) वर्तमान में सड़क में किसी प्रकार का विवाद नहीं था।

(ड़) त्रिस्तरीय गुणवत्ता की जॉच नहीं किया गया था।

(च) सड़क निर्माण के पूर्व अनापति प्रमाण–पत्र नहीं लिया गया था।

जवाब में बताया गया कि मार्गदर्शिका में नली–गली का कियान्वयन के लिए पूर्व में नली बना हुआ था, इसलिए गली बनाया गया।

कंडिका सं0–05 सैरात बंदोबस्तीधारी से राशि की वसूली नही होने के कारण राजस्व की हानि रू 12.62 लाख।

नगर पंचायत, जगदीशपुर के वर्ष 2014–15 से 2016–17 से संबद्ध बन्दोबस्ती लेखा की नमूना जॉच एवं उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार नगर पंचायत के अधिनस्थ कुल 10 सैरात की बन्दोबस्ती अथवा

विभागीय वसूली किया गया था एवं बकाया की वसूली नही किया गया था। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	वितीय वर्ष	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	वसूली गई राशि	अवशेष
01	2014–15	नया टोला फूटपाथ की बन्दोबस्ती	90100	45100	45000
02	2015–16	—— " ——	155000	59910	95090
03	2015–16	मछली बाजार बन्दोबस्ती	80600	14200	66400
04	2015–16	टैक्सी, मैक्सी बस स्टेण्ड	1500000	476270 (146620 विभागीय वसूली)	1023730
05	2016–17	——"——	1182000	1149780	32220
		कुल राशि			1262440

उपरोक्त वितीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में सैरातों की बन्दोबस्तधारी द्वारा अवशेष राशि रू 1262440 सैरात की बन्दोबस्ती में एकरारनामा के अनुसार सैरात की अवधि पूर्ण होने पूर्व ही सम्पूर्ण राशि की वसूली की जानी चाहिए थी। नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा वित्तीय वर्ष व्यतीत के उपरान्त भी वसूली नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि बन्दोबस्ती की राशि का वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर किया गया है।

कंडिका सं0–06 अनियमित भुगतान राशि रू 5.69 लाख।

योजना संख्या–61/16–17

योजन का नाम– वार्ड नं0–10 में काली मंदीर से कोसल सिंह के मकान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण

प्राक्कलन की राशि– रू 572900

अभिकर्ता का नाम– श्री गुप्तेश्वर प्रसाद

तकनीकी स्वीकृति– 20.02.16

अंतिम मापी की तिथि–19.07.16

योजना में मापी की राशि– रू 569513

अभिकर्ता को भुगतान राशि– रू 530823

वैट की कटौती – रू 37078

रायल्टी की कटौती– रू 528

श्रम सेस की कटौती– रू 1084

कुल व्यय की गयी राशि– रू 569639

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) संचिका में संलग्न मॉस्टर रॉल के अनुसार कार्य की अवधि एवं मजदूर की उपस्थिति से संबंधित मजदूरी का भुगतान का हस्ताक्षर नही किया गया था।

(ख) अभिश्रव में सामग्री की क्रय में दिनांक दर्ज नही किया गया था। जिसके कारण योजना पर किया गया व्यय राशि रू 569639 अनियमित था।

जवाब में बताया गया कि योजना का मास्टर रॉल में मजदूर की उपस्थिति भूलवश दर्ज नही किया गया है जिसे शीघ्र करा दिया जायेगा।

कंडिका सं0–07 कम जमा राशि रू 6780

बिहार वितीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हे अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

नगर पंचायत, जगदीशपुर के 2014–15 से 2016–17 के जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों से प्राप्त की गई राशि कोषागार/बैंक में जमा नही कराया गया था। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है।

क0सं0	रसीद	रसीद सं0	दिनांक	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	संग्रहकर्ता का नाम
01	M.R	331–333	21.09.17 से 22.09.17	6000	0	6000	रामइकबाल प्रसाद
02	–"–	641	28.01.15	40	20	20	गुप्तेश्वर प्रसाद
03	–"–	643	28.01.15	60	20	40	— तथैव —
04	–"–	1214	30.03.16	30	10	20	— तथैव —
05	–"–	809	29.06.15	20	10	10	— तथैव —
06	H.R	201	31.01.16	510	0	510	गुप्तेश्वर प्रसाद
07	–"–	2586	04.12.15	880	800	80	–"–
08	–"–	5976	11.04.14	5663	5563	100	धीरज कुमार
						6780	

जवाब में बताया गया कि कम जमा राशि शीघ्र जमा किया जा रहा है।

कंडिका सं0–08 बजट नहीं बनाया जाना।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 के अनुसार नगर परिषद आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन बोर्ड में फरवरी माह के 15वीं तारीख या उसके बाद यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करेगी। सशक्त स्थायी समिति द्वारा धारा 83 (1) के अन्तर्गत प्रावधानानुसार रिपोर्ट की समीक्षा कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तत करेगा। बोर्ड द्वारा 15 मार्च तक इस बजट प्राक्कलन को अंगीकार कर श्रेणी क नगर परिषद के मामले में स्थानीय निकाय के निदेशक तथा श्रेणी ख एवं ग नगर परिषद के मामल में स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक को भेजेगा।

राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के निदेशक/क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा प्राप्त बजट प्राक्कलन को परिवर्तन अथवा बिना परिवर्तन के साथ 31 मार्च की तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जाएगी।

उक्त अधिनियम की धारा 82 (9) के अनुसार बजट प्राक्कलन नगर के आधार पर तैयार किया जाएगा जो घाटे का नहीं होगा अर्थात अन्तशेष शून्य से कम नहीं होगा। वर्ष 2016–17 के बजट संचिका की जॉच में निम्न तथ्य पाए गए –

क0 सं0	वर्ष	समस्त आय	समस्त व्यय	लाभ/हानि	सामान्य बोर्ड की बैठक में पारित होने की तिथि	सरकार को भेजे जाने की तिथि	अभ्युक्ति
1.	2016–17	410419330	411371000	(–)951670	02.02.16	10.03.16	स्थानीय क्षेत्रीय उप निदेशक को नही भेजकर उप सचिव नगर विकास विभाग को भेजा गया
2.	2016–17						बजट नही बनाया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) नगर पंचायत के मामले में बजट की प्रति उप सचिव, नगर विकास विभाग को भेजा गया जबकि अधिनियम में वर्णित धारा 84 (ख एवं ग) क अनुसार स्थानीय क्षेत्रीय निदेशक अथवा स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक जैसा भी मामला हो भेजा जाना चाहिए था।

(ख) वर्ष 2016–17 का बजट घाटे का बजट (–9.51 लाख) का था। अधिनियम की धारा 82 (9) के अनुसार घाटे का बजट बनाया गया था।

(ग) नगर पंचायत द्वारा 2017–18 का बजट नहीं बनाया गया था।

जवाब में बताया गया कि बजट 2016–17 घाटे का बजट नही बनाया गया उसमें पूर्ववर्ती अवशेष राशि को शामिल करते हुए बनाया गया।

कंडिका सं0–09 सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति कर रू0 5.46 लाख

नगर निगम आरा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति कर की सूची के जाँच में पाया गया कि कुल 53 सरकारी भवनों पर बकाया सम्पत्ति कर दिनांक 31.03.2017 तक कुल रू0 546204 है और इसकी वसूली वर्षो से नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण नगर निगम को राजस्व की क्षति हो रही है।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. सम्पत्ति कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी तथा अन्य संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. सरकारी भवनों के सम्पत्तिकर का पुनर्निर्धारण कब किया गया था अवगत नहीं कराया गया।
3. बकाया सम्पत्ति कर राशि रू 546204 की वसूली हेतु किये गए प्रयासों से लेखा परीक्षा को अवगत नही कराया गया।

जवाब में बताया गया कि सरकारी भवन बकाया सम्पति कर की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है।

कंडिका सं0–10 योजना मद में कटौती की गई राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया (13.74 लाख)।

नगर पंचायत जगदीशपुर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी के अनुसार विभिन्न योजनाओं से कटौती की गयी राशि संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नही कराया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

वितीय वर्ष	वैट कटौती	रायल्टी कटौती	श्रम षेष कटौती	आयकर कटौती
2012–13	27739	5401	935	0
2013–14	86715	23095	0	0
2014–15	678708	8262	47949	143846
2015–16	71669	3407	989	0
2016–17	244126	7430	15544	8832
योग	1108957	47595	65417	152678

अतः उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि राशि रू 1374647 (1108957+ 47595+ 65417+ 152678) कटौती कार्यालय द्वारा की गयी थी। कटौती की गई राशि संबंधित राजस्व विभाग वैट, रायल्टी, श्रम सेस एवं आयकर के शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। जिसे शीघ्र ही जमा कराया जाय।

जवाब में बताया गया कि कटौती की गयी राशि संबंधित विभाग को शीघ्र ही भेज दिया जायेगा।

कंडिका सं0–11 संचार टावरों के अनधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि रू 4.40 लाख।

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उससे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1)के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में संचार टावर पंजीकरण शुल्क के रूपमें **रू 30000** प्रतिटावर एवं **रू 8000** नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता हे तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।